भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3819
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

अमरनाथ यात्रियों को बीमा कवरेज

†3819. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरनाथ यात्रा का मार्ग भूस्खलन, गिरते पत्थरों और हिमस्खलन के कारण कठिन और दुर्गम है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस यात्रा में मारे गए/घायल हुए यात्रियों की संख्या सहित हुई घटनाओं/दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रत्येक पंजीकृत यात्री को बीमा कवर प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान पीड़ितों को अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) द्वारा दिए गए मुआवजे/बीमा राशि का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का अमरनाथ यात्रियों के लिए बीमा-राशि बढ़ाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है जिसमें सभी बचाव उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्वत बचाव टीमों, एनडीआरएफ टीमों की तैनाती, रास्तों का सुधार और रास्तों के महत्वपूर्ण हिस्सों में रेलिंग लगाना, स्वचालित (ऑटोमैटिक) मौसम स्टेशनों की स्थापना और समुचित संख्या में सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती आदि शामिल हैं।

लो.स.अ.प्र.सं. 3819

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मारे गए तथा घायल हुए तीर्थयात्रियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	मौतों की संख्या	गंभीर रूप से घायलों की संख्या
2016	22	65
2017	29	84
2018	34	28
2019 (दिनांक 10.07.2019 तक)	05	20

(ग) और (घ): श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड 3 लाख यात्रियों और 33,000 सेवा प्रदाताओं को दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में 3.00 लाख रु. प्रति यात्री/सेवा प्रदाता का सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है, जो कि यात्रियों के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करने की तारीख से लेकर राज्य से बाहर जाने तक तथा सेवा प्रदाता के मामले में यात्रा के शुरू होने से एक माह पूर्व से लेकर यात्रा पूरी होने के एक सप्ताह बाद तक के लिए लागू होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मृत यात्रियोंसेवा / प्रदाताओं के निकटतम संबंधियों को संवितरित की गई अनुग्रह राहत		मृत यात्रियों के निकटतम संबंधियों को संवितरित बीमा दावे		घायल यात्रियों को संवितरित की गई अनुग्रह राहत	
	संख्या	राशि लाख) (में .रु	संख्या	राशि लाख) (में .रु	संख्या	राशि लाख) (में .रु
2016	09	6.25	03	3.00	शून्य	शून्य
2017	10	43.50	17	51.00	36	33.00
2018	04	3.50	11	33.00	शून्य	शून्य
कुल	23	53.25	31	87.00	36	33.00

(ङ) और (च): श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने पहले ही वर्ष 2017 और इसके बाद की यात्रा के लिए सामूहिक बीमा कवर की राशि को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 3 लाख रु. कर दिया है।

*****